न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

निर्णय दिनांकः—15-02-2023

1. अपील संख्याः 76/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/254)
2. अपील संख्याः 79/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/257)

1. किशन सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. प्रभूसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. श्रीमती नखतकंवर बेवा अमरसिंह
3. श्रीमती उच्छबकंवर पुत्र अमरसिंह पत्नी दीपसिंह
4. श्रीमती रिजकंवर पत्नी सुल्तानसिंह
5. श्रीमती सदाकंवर
6. श्रीमती रूपकंवर
7. श्रीमती धापूकंवर
8. श्रीमती मनोहरकंवर
9. श्रीमती हरकंवर

(5–9) पिसरान सुल्तानसिंह

10. नेपालसिंह पुत्र रूधनाथसिंह
11. आसूसिंह पुत्र अचलसिंह
11/1. नारायण सिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
12. मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
13. लिछमणराम पुत्र कुम्भारसम
14. नारायणराम पुत्र कुम्भाराम
15. नारायणसिंह पुत्र जेठूसिंह
16. मु. संतोषकंवर पुत्री जेठूसिंह
17. मु. बालू बेवा जेठूसिंह
18. श्रीमती केलूकंवर बेवा देवीसिंह
19. गंगाकंवर पुत्री देवीसिंह
20. उर्मिलाकंवर पुत्री कानसिंह
21. सार्दुलसिंह उर्फ बाबूसिंह
22. राणीसिंह

(21–22) पिसरान कानसिंह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

23. चैनसिंह
24. मु. सुगनी बेवा कानसिंह
25. मु. सुरजा पुत्री पन्नेसिंह
26. सुगनी पुत्री पन्नेसिंह
27. आसूसिंह पुत्र गजसिंह
28. सुमेरसिंह पुत्र गजसिंह
29. रूधनाथसिंह पुत्र गजसिंह
30. रेवन्तसिंह पत्रु गजसिंह
31. मु. रसालकंवर पत्नी सुमेरसिंह
32. तेजसिंह पुत्र मानसिंह
33. रामसिंह पुत्र मानसिंह
34. मु. रेखाकंवर पत्नी रूधनाथसिंह
35. मालमसिंह पुत्र लाधूसिंह

    35/1. लूणसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

    35/2. हवाकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।

    35/3. सुमनदेवी पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।

    35/4. गुलाबकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी छनेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

    35/5. वीर कंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी राजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बांगड़सर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

36. कानसिंह पुत्र धोंकलसिंह
37. शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह
38. तिलेसिंह
39. दुर्जनसिंह पिसरान जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह जरिये वारिसान

    39/1. अणचीकंवर पत्नि दुर्जनसिंह

    39/2. भीखसिंह

    39/3. किशोरसिंह

    39/4. जालमसिंह

    39/5. विक्रमसिंह

    39/6. प्रेमसिंह — पुत्र/पुत्रियाँ दुर्जनसिंह

    39/7. गीताकंवर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

39/8. रायकंवर

39/9. लिच्छुकंवर

39/10. मुनेशकंवर

40. मु. तुलछा पुत्र जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

41. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, भू.अ. कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. अपील संख्याः 77/22

(जीसीएमएस संख्या 2022/255)

4. अपील संख्याः 78/22

(जीसीएमएस संख्या 2022/256)

1. आसूसिंह पुत्र अचलसिंह

1/1. नारायण सिंह पुत्र आसूसिंह जाति राजपूत निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. प्रभूसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. श्रीमती नखतकंवर बेवा अमरसिंह
3. श्रीमती उच्छबकंवर पुत्र अमरसिंह पत्नी दीपसिंह
4. श्रीमती रिजकंवर पत्नी सुल्तानसिंह
5. श्रीमती सदाकंवर
6. श्रीमती रूपकंवर
7. श्रीमती धापूकंवर | पिसरान सुल्तानसिंह
8. श्रीमती मनोहरकंवर
9. श्रीमती हरकंवर
10. नेपालसिंह पुत्र रूधनाथसिंह
11. किशनसिंह पुत्र रूधनाथसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

12. मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
13. लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम
14. नारायणराम पुत्र कुम्भाराम
15. नारायणसिंह पुत्र जेठूसिंह

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

16. मु. संतोषकंवर पुत्री जेठूसिंह
17. मु. बालू बेवा जेठूसिंह
18. श्रीमती केलूकंवर बेवा देवीसिंह
19. गंगाकंवर पुत्री देवीसिंह
20. उर्मिलाकंवर पुत्री कानसिंह
21. सार्दुलसिंह उर्फ बाबूसिंह
22. राणीसिंह | पिसरान कानसिंह
23. चैनसिंह
24. मु. सुगनी बेवा कानसिंह
25. मु. सुरजा पुत्री पन्नेसिंह
26. सुगनी पुत्री पन्नेसिंह
27. आसूसिंह पुत्र गजसिंह
28. सुमेरसिंह पुत्र गजसिंह
29. रूधनाथसिंह पुत्र गजसिंह
30. रेवन्तसिंह पत्रु गजसिंह
31. मु. रसालकंवर पत्नी सुमेरसिंह
32. तेजसिंह पुत्र मानसिंह
33. रामसिंह पुत्र मानसिंह
34. मु. रेखाकंवर पत्नी रूधनाथसिंह
35. मालमसिंह पुत्र लाधूसिंह

    35/1. लूणसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

    35/2. हवाकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।

    35/3. सुमनदेवी पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।

    35/4. गुलाबकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी छनेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

    35/5. वीर कंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी राजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बांगड़सर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

36. कानसिंह पुत्र धोंकलसिंह
37. शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह
38. तिलेसिंह
39. दुर्जनसिंह पिसरान जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह जरिये वारिसान

39/1. अणचीकंवर पत्नि दुर्जनसिंह
39/2. भीखसिंह
39/3. किशोरसिंह
39/4. जालमसिंह
39/5. विक्रमसिंह
39/6. प्रेमसिंह पुत्र/पुत्रियॉ दुर्जनसिंह
39/7. गीताकंवर
39/8. रायकंवर
39/9. लिच्छुकंवर
39/10. मुनेशकंवर

40. मु. तुलछा पुत्र जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

41. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, भू.अ. कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. अपील संख्याः 81/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/258)
6. अपील संख्याः 82/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/259)

1. तिलेसिंह पुत्र जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह
2. दुर्जनसिंह पुत्र जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह जरिये वारिसान

2/1. अणचीकंवर पत्नि दुर्जनसिंह
2/2. भीखसिंह
2/3. किशोरसिंह
2/4. जालमसिंह
2/5. विक्रमसिंह
2/6. प्रेमसिंह पुत्र/पुत्रियॉ दुर्जनसिंह
2/7. गीताकंवर

समस्त जाति राजपूत निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

—बनाम—

1. प्रभूसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. श्रीमती नखतकंवर बेवा अमरसिंह
3. श्रीमती उच्छबकंवर पुत्र अमरसिंह पत्नी दीपसिंह
4. श्रीमती रिजकंवर पत्नी सुल्तानसिंह
5. श्रीमती सदाकंवर
6. श्रीमती रूपकंवर
7. श्रीमती धापूकंवर पिसरान सुल्तानसिंह
8. श्रीमती मनोहरकंवर
9. श्रीमती हरकंवर
10. नेपालसिंह पुत्र रूधनाथसिंह
11. आसुसिंह पुत्र अचलसिंह मृतक जरिये वारिसान
    11/1. नारायणसिंह पुत्र आसुसिंह
12. किशनसिंह पुत्र रूधनाथसिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
13. मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
14. लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम
15. नारायणराम पुत्र कुम्भाराम
    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
16. नारायणसिंह पुत्र जेठूसिंह
17. मु. संतोषकंवर पुत्री जेठूसिंह
18. मु. बालू बेवा जेठूसिंह
19. श्रीमती केलूकंवर बेवा देवीसिंह
20. गंगाकंवर पुत्री देवीसिंह
21. उर्मिलाकंवर पुत्री कानसिंह
22. सार्दुलसिंह उर्फ बाबूसिंह
23. राणीसिंह पिसरान कानसिंह
24. चैनसिंह
25. मु. सुगनी बेवा कानसिंह
26. मु. सुरजा पुत्री पन्नेसिंह
27. सुगनी पुत्री पन्नेसिंह
28. आसूसिंह पुत्र गजसिंह
29. सुमेरसिंह पुत्र गजसिंह

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

30. रूधनाथसिंह पुत्र गजसिंह
31. रेवन्तसिंह पत्रु गजसिंह
32. मु. रसालकंवर पत्नी सुमेरसिंह
33. तेजसिंह पुत्र मानसिंह
34. रामसिंह पुत्र मानसिंह
35. मु. रेखाकंवर पत्नी रूधनाथसिंह
36. मालमसिंह पुत्र लाधूसिंह

36/1. लूणसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

36/2. हवाकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।

36/3. सुमनदेवी पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।

36/4. गुलाबकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी छनेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

36/5. वीर कंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी राजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बांगड़सर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

37. कानसिंह पुत्र धोंकलसिंह
38. शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह
39. दुर्जनसिंह पिसरान जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह जरिये वारिसान

39/1. अणचीकंवर पत्नि दुर्जनसिंह
39/2. भीखसिंह
39/3. किशोरसिंह
39/4. जालमसिंह
39/5. विक्रमसिंह
39/6. प्रेमसिंह
39/7. गीताकंवर
39/8. रायकंवर
39/9. लिच्छुकंवर
पुत्र/पुत्रियाँ दुर्जनसिंह
39/10. मुनेशकंवर

40. मु. तुलछा पुत्र जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

41. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, भू.अ. कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अपील संख्या: 80/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/260)

1. मालमसिंह पुत्र लाधूसिंह मृतक जरिये वारिसान
1/1. लूणसिंह पुत्र मालमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
1/2. हवाकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।
1/3. सुमनदेवी पुत्री मालमसिंह पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंह की सीड तहसील बाप जिला जोधपुर।
1/4. गुलाबकंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी छनेरी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
1/5. वीर कंवर पुत्री मालमसिंह पत्नी राजूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बांगड़सर तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. प्रभूसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. श्रीमती नखतकंवर बेवा अमरसिंह
3. श्रीमती उच्छबकंवर पुत्र अमरसिंह पत्नी दीपसिंह
4. श्रीमती रिजकंवर पत्नी सुल्तानसिंह
5. श्रीमती सदाकंवर
6. श्रीमती रूपकंवर
7. श्रीमती धापूकंवर पिसरान सुल्तानसिंह
8. श्रीमती मनोहरकंवर
9. श्रीमती हरकंवर
10. नेपालसिंह पुत्र रूधनाथसिंह
11. आसुसिंह पुत्र अचलसिंह मृतक जरिये वारिसान
11/1. नारायणसिंह पुत्र आसुसिंह
12. मोहनलाल पुत्र अर्जुनराम
13. लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम
14. नारायणराम पुत्र कुम्भाराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
15. नारायणसिंह पुत्र जेठूसिंह

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

16. मु. संतोषकंवर पुत्री जेठूसिंह
17. मु. बालू बेवा जेठूसिंह
18. श्रीमती केलूकंवर बेवा देवीसिंह
19. गंगाकंवर पुत्री देवीसिंह
20. उर्मिलाकंवर पुत्री कानसिंह
21. सार्दुलसिंह उर्फ बाबूसिंह
22. राणीसिंह
23. चैनसिंह

(21–23) पिसरान कानसिंह

24. मु. सुगनी बेवा कानसिंह
25. मु. सुरजा पुत्री पन्नेसिंह
26. सुगनी पुत्री पन्नेसिंह
27. आसूसिंह पुत्र गजसिंह
28. सुमेरसिंह पुत्र गजसिंह
29. रूधनाथसिंह पुत्र गजसिंह
30. रेवन्तसिंह पत्रु गजसिंह
31. मु. रसालकंवर पत्नी सुमेरसिंह
32. तेजसिंह पुत्र मानसिंह
33. रामसिंह पुत्र मानसिंह
35. मु. रेखाकंवर पत्नी रूधनाथसिंह
36. कानसिंह पुत्र धोकलसिंह
37. शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह
38. तिलेसिंह पुत्र दीपसिंह
39. दुर्जनसिंह पिसरान जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह जरिये वारिसान
    - 39/1. अणचीकंवर पत्नि दुर्जनसिंह
    - 39/2. भीखसिंह
    - 39/3. किशोरसिंह
    - 39/4. जालमसिंह
    - 39/5. विक्रमसिंह
    - 39/6. प्रेमसिंह
    - 39/7. गीताकंवर
    - 39/8. रायकंवर
    - 39/9. लिच्छुकंवर
    - 39/10. मुनेशकंवर

    (39/3–39/9) पुत्र/पुत्रियॉ दुर्जनसिंह

40. मु. तुलछा पुत्र जुवारसिंह उर्फ जीवणसिंह

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम भेलू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

41. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, भू.अ. कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत।
दिनांक 19—12—2019 व 20—03—2020

उपस्थितः—

1. श्री करणसिंह तंवर, श्री रविराज सिंह भाटी, श्री भागीरथ सिंह शेखावत, श्री सुरेश बालेचा, श्री गिरीराज सिंह भाटी अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, श्री सुमेरदान बीठू, श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, श्री रामचन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 19—12—2019 व 20—03—2020 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से विभाजन की प्राथमिक व फाईनल डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. उपरोक्त सभी पत्रावलियों में समान पक्षकार होने व निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण सभी सात पत्रावलियों का निर्णय एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति सभी सात पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भेलू तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 139 में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

16.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 140 में 13.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 में 60.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 में 39.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 में 40.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 में 9.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 268 में 25.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 304 में 28.98 हेक्टर , खसरा नम्बर 330 में 9.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 366 में 31.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 में 30.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 475 में 29.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 491 में 18.89 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 502 में 21.98 हेक्टर कुल किता 14 तादादी 374.79 हेक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि रही है। आराजी जैर के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र धोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन का प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा पटवारी द्वारा रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत जाकर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री कर दिया गया। न्यायलय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन के प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए बाय मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के प्रस्ताव करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया उक्त प्रस्ताव तहसीलदार एवं समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करवाये जाने के प्रावधान है परन्तु उक्त प्रस्ताव करवाते समय अपीलांट्स को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दि गई एवं जो प्रस्ताव तैयार किये गये थे वो तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये जाकर संबंधित पटवारी द्वारा ही तैयार किये गये है जो कि स्पस्ट रूप से नियम 18 से 21 अवहेलना को दर्शाता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करते समय व तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए संयुक्त खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा मौके की जॉच किये बिना ही वादी के कथन मात्र पर विश्वास करते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में स्पष्ट नियम है कि संबधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अपनी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करें। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किये गये है व तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट पर काऊण्टर साईन किये गये है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की स्पष्ट रूप से

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अवहेलना की गई है। **विभाजन के मामलों में सर्वप्रथम यह देखा जाना होता है कि** विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से विभाजन के प्रतिपादित सिद्वान्त अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये है अथवा नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध प्रस्ताव के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग–अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जॉच की कोई फर्द ही बनाई गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के खातों का विवरण निम्न प्रकार है:–

अचलसिंह पुत्र तख्तसिंह 1/32 हिस्स अर्थात 94.15 बीघा, बुलिदान सिंह के हिस्से में 78.01 बीघा, जेठमालसिंह के हिस्से में 134.14 बीघा, सुल्तान सिंह व आसूसिंह प्रत्येक का 159.10 बीघा, उक्त हिस्से में से सुल्तान सिंह व आसूसिंह ने अपने हक व हिस्से की भूमि का कुछ हिस्सा दिगर व्यक्तियों को विक्र करने के उपरान्त उनके हक व हिस्से मे सुल्तान सिंह के हिस्से में 70.13 बीघा व आसुसिंह के हिस्सें में 100 बीघा भूमि होती है जोकि उनके हिस्से से 23 बीघा भूमि कम है। इसी प्रकार पीरदानसिंह, केशरीसिंह पुत्रगण गुमानीसिंह के हक व हिस्से मं 94.15 बीघा भूमि आती है, जबकि उनके द्वारा अपने हक व हिस्से से अधिक 104.16 बीघा भूमि का विक्रय कर दिया गया। ऐसी स्थिति में हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने से रिकार्ड से नाम हटाये जाने का अनुतोष की मांग की गई थी।

उन्होंने आगे कथन किया कि जेठमालसिंह पुत्र जुगतसिंह का 1/16 हिस्सा अर्थात 189.09 बीघा भूमि आती है जिसमें से 54.15 बीघा

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

भूमि आदूराम, जेसाराम आदि को विक्रय कर दी गई शेष भूमि 134.14 बीघा भूमि सुल्तानसिंह, आसुसिंह के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार पन्नेसिंह पुत्र मदनसिंह के हक व हिस्से में 1/8 हिस्सा अर्थात 378.19 बीघा भूमि आती है। जिसे भी दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर दी गई। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के अन्य सह खातेदारों द्वारा भी अपने–अपने हक व हिस्से का कुछ भू–भाग अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिये जाने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा मूल खातेदारों एवं वादग्रस्त भूमि के खरीददार के कब्जे काश्त व धारण की भूमि का ध्यान नहीं रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। जबकि विभाजन के मामलों में उच्चतर न्यायालयों की स्पष्ट अवधारणा रही है कि विभाजन से पूर्व सभी सह खातेदारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए व साथ ही रास्ते के आज्ञापक प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए आराजी का विभाजन किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इन सभी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोडेन्ट्स मौक पर आये व कथन किया उक्त भूमि का विभाजन हमारे द्वारा करवा लिया गया है। तब जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहाँ विकल्प को माफ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जॉच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1378, डीएनजे एससी 2018 पेज 618, आरआरडी 2008 पेज 804, आरआरडी 2006 पेज 397, आरआरटी 2019 पेज 577, 663, आरआरटी 2021 पार्ट II पेज 1318, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 658, 221, आरआरडी 2019 पेज 677, आरआरटी 2019 पार्ट I पेज 380, आरआरडी 2018 पेज 770 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम भेलू तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 139 में 16.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 140 में 13.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 में 60.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 में 39.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 में 40.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 में 9.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 268 में 25.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 304 में 28.98 हेक्टर , खसरा नम्बर 330 में 9.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 366 में 31.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 में 30.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 475 में 29.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 491 में 18.89 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 502 में 21.98 हेक्टर कुल किता 14 तादादी 374.79 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 53 आरटीए के तहत रेस्पोडेन्ट्स प्रभूसिंह पुत्र प्रेमसिंह, श्रीमती नखतकंवर बेवा अमरसिंह व श्रीमती उच्छवकंवर पुत्री अमरसिंह द्वारा प्रस्तुत सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि का वर्णन करते हुए कब्जे व धारण की भूमि के अनुसार धोषणा/रिकार्ड दुरूस्ती/खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्टस अदालत मातहत के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

समक्ष उपस्थित आने पर नियमानुसार उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/ हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने व उनकी बहस सुनने के पश्चात् ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाट्स का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे बताया कि विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालन

पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—12—2019 व 20—03—2020 के विरूद्व अपील दिनांक 08—06—2020 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील गुणावगुण के साथ—साथ मियांद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन दिनांक 19—12—2019 व 20—03—2020 के विरूद्व अपील दिनांक 08—06—2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नही करते हुए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर विधि समत तरीके से विभाजन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियांद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के कांश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम भेलू तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 139 में 16.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 140 में 13.58 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 में 60.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 162 में 39.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 164 में 40.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 167 में 9.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 268 में 25.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 304 में 28.98हेक्टर, खसरा नम्बर 330 में 9.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 366 में 31.86 हेक्टर, खसरा नम्बर 367 में 30.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 475 में 29.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 491 में 18.89 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 502 में 21.98 हेक्टर कुल किता 14 तादादी 374.79 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 व 53 आरटीए के तहत रेस्पोडेन्ट्स प्रभूसिंह पुत्र प्रेमसिंह, श्रीमती नखतकंवर बेवा अमरसिंह व श्रीमती उच्छवकंवर पुत्री अमरसिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19—12—2019 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री व कालान्तर में दिनांक 20—03—2020 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौके व कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत जाकर एकतरफा तौर पर वादी के कथनानुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

इस संबंध में हमने अदालत मातहत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 28–02–2003 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने के उपराक्त अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब व मृतक पक्षकारों के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु जैरकार रही है। दिनांक 14–11–2019 को पत्रावली उभय पक्षों के उपस्थित आने व प्रतिवादी संख्या 26 के प्रार्थना पत्र पर कायम मुकाम की कार्यवाही पूर्ण होने पर पत्रावली को बहस हेतु निर्धारित किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली पर दिनांक 05–12–2019 व 12–12–2019 को बहस हेतु समय प्रदान किया गया व दिनांक 19–12–2019 को पत्रावली पर बहस सुने जाने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री पारित करते समय अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के धारण/कब्जे काश्त की भूमि का अंकन करते हुए तहसीलदार कोलायत को अंतिम डिक्री जारी करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु अभिलिखित किया गया।

प्रकरण में अदालत मातहत के आदेशों की पालना में बरवक्त विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जाने वादग्रस्त भूमि के विभाजन के प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण/हक व हिस्से की भूमि के अनुसार जिस पर संबंधित पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है, तैयार करते हुए अदालत मातहत को प्रेषित किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि को लेकर वादीगण/प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक व हिस्से की भूमि का विभाजन करते हुए अंतिम डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके हक–हकूकों, उनके धारण की भूमि, उनके कब्जे काश्त की भूमि का किस प्रकार से ध्यान नहीं रखते हुए उनके विधिक अधिकारो का हनन किया गया। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को सहारा लेकर अपील प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

किये जाने व प्रकरण को इतनी लम्बी अवधि उपरान्त पुनः अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है।

विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के धारण की भूमि को कम अथवा ज्यादा किया गया है या नहीं? एक दूसरे के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है या नहीं? एवं विभाजन करते समय रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है या नहीं? अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अवलोकन से यह साबित होता है कि द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना/रास्ते के प्रावधानों को शामिल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19—12—2019 व 20—03—2022 यथावत बहाल रखे जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 14/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

14/2/23

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

<u>डिकरी ब सीगे अपील</u>

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

किशन सिंह बनाम प्रभूसिंह
(अपील संख्या 79/22)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
मुवर्खे 19–12–2019 व 20–03–2022

यह अपील ब–तारीख 14–02–2023 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट् श्री करणसिंह तंवर, श्री रविराज सिंह भाटी, श्री भागीरथ सिंह शेखावत, श्री सुरेश बालेचा, श्री गिरीराज सिंह भाटी अभिभाषक अपीलांट्स श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, श्री सुमेरदान बीठू, श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, श्री रामचन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपीलें खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 19–12–2019 व 20–03–2022 यथावत बहाल रखे गये।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग ....–.........) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ....–.............. अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया।

14/2/23

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

<u>खर्चा अपील</u>

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील............ 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत् .... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा.............. 2. अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. मेहनताना वकील .... मीजान		